न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 188/2020 **दायर दिनांकः– 09–11–2020**

पतराम पुत्र श्री जैसाराम जाति जाट साकिन लालगढ तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

——— वादी

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

——— प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209, राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित :–

1–श्री राजवीर भादू , अंजनी कुमार चोटिया अभिभाषक वादी

2– पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ ।

–:– निर्णय –:– **दिनांक :–** 16.01.2024

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषकगण वादी एवं पैरोकार राज उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण के सक्षैप तथ्य इस प्रकार है कि वादी के नाम से रोही गोपालसर बारानी तहसील सूरतगढ के खसरा न0 274/2 में 25–00बीघा भूमि टी सी आंवटन किया गया । जिस पर वादी द्वारा आंवटन की सभी शर्तो की पालना करते हुये उक्त जैरवाद रकबा की खातेदारी श्रीमान तहसीलदार सूरतगढ ने दिनांक 02–08–2008 को खसरा नं0 274/2 में 4.061 हे0 बारानी भूमि की खातेदारी जारी कर दी गई । जिस पर आंवटन से लेकर आज तक बदस्तुर कब्जा कास्त चला आ रहा है । वादी को तत्कालिन पटवारी हल्का द्वारा कब्जा सम्भलाया गया वही पर वादी कास्त करता आ रहा है । वादी के नाम आवटित रकबा रोही गोपालसर बारानी के खसरा नं0 274/2 में 25–00बीघा भूमि का उपनिवेशन क्षैत्र में होने पर श्रीमान आंवटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा समस्त रिपोर्टे लेने के पश्चात दिनांक 04–06–2007 को पुख्ता आंवटन कर दिया गया । इसके पश्चात उक्त रकबा उपनिवेशन क्षैत्र से बाहर अर्थात डी कॉलोनी होने के कारण तहसीलदार राजस्व सूरतगढ के क्षैत्राधिकार में आ गया जिस पर डी कॉलोनी के प्रावधानो के तहत पटवारी हल्का एवं गिरदावर की रिपोर्ट ओने के पश्चात तहसीलदार राजस्व सूरतगढ द्वारा खसरा न0 274/2 में 4.061 हे0 भूमि की खातेदारी अधिकार जारी कर दिये गये । श्रीमान आवंटन अधिकारी के द्वारा पुख्ता आंवटन करते वक्त वादी की खसरा न0 274/2 में 16–01 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन की गई । शेष 8–19बीघा भूमि सरप्लस कर दी गई । उक्त रकबा डी कॉलोनी होने के पश्चात श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ द्वारा सरप्लस रकबे की खातेदारी दिनांक 07–09–2015 को जारी कर दी गई जिसका अमलदरामद राजस्व रिकार्ड हो चुका है। वादी ने अपने नाम आंवटन रकबा को समय –2 पर आर्थिक खर्च कर ट्रेक्टर करावे की सहायता से ऊँचे–2 टिब्बो को समतल किया गया एवं लगभग 40 वर्षो से वादी द्वारा आंवटन शुदा रकबा में खाद उर्वरक आदि से रकबा को कृषि के उपयुक्त किया गया है इतने वर्षो के कठोर परिश्रम तथा आर्थिक खर्च की मदद से काश्त के लिए उपयुक्त कर वादी अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे है। वादी के नाम रोही गोपालसर तहसील सूरतगढ के खसरा नं0 274/2 में 4.061 खातेदारी भूमि का अमलदरामद करवाने हेतू प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर आदेश होने के पश्चात पटवारी हल्का को अमलदरामद हेतू भेजा गया इसके पश्चात भी आज तक वादी की खातेदारी भूमि का अमलदरामद राजस्व रिकार्ड नही हुआ । उक्त मूल खसरा का विभाजन राजस्व कर्मीयो द्वारा करते हुये खसरा नं0 274/2 एवं 537/274 राजस्व रिकार्ड दर्ज किया गया । जबकि 274/2 से ही पैमूद खसरा न0 537/274 बना है । वादी के कब्जा कास्त एवं खातेदारी अधिकार होने के बावजूद भी आज भी उक्त खसरो आरजी राज दर्ज चले आ रहे है । वादी ने रोही गोपालसर बारानी के खसरा न0 274/2 में 4.061 हे0 खातेदारी भूमि का राजस्व रिकार्ड में आरजी राज के कारण अन्तर्गत धारा 80 सी पी सी का नोटिस श्रीमान जिला कलैक्टर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

की दिया जा चुका है लेकिन बेदखली की कार्यवाही होने के कारण वादी के कब्जा काश्त रकबा एवं आंवटन रकबा को किसी अन्य व्यक्ति को आंवटन न हो जाए अति आवश्यक होने के कारण धारा 80(2) सी पी सी के तहत वाद–पत्र प्रस्तुत कर वादी उक्त जैरवाद रकबा का खातेदार कृषक घोषित करवाने का निवेदन किया ।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रतिवादी को जरिये साधारण एवं रजिस्टर्ड समन से तलब किया गया। पेरोकार राज उपस्थित हुये। पेरोकार राज ने वाद–पत्र का जबाब प्रस्तुत किया । इसके पश्चात वादी के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वादी द्वारा वाद–पत्र के साथ धारा 80 (2) सी पी सी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रतिवादी पेरोकार राज द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही किये जाने के कारण धारा 80 (2) सी पी सी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। दावे एवं जबाब दावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम कि गई :–

1– आया कि वादी के नाम से ही गोपालसर बारानी तहसील सूरतगढ के खसरा न0 274/2 में 25–00बीघा भूमि अस्थाई आंवटन किया गया है ? ––वादी

2– आया कि वादी के नाम रोही गोपालसर बारानी के खसरा न0 274/2 में 1.645 है0 तथा खसरा न0 537/274 में 2.404 है0 खातेदारी भूमि का वादी खातेदार कृषक है ? –– वादी

3– आया कि वादी के नाम रोही गोपालसर बारानी के खसरा न0 274/2 में 1.645 है0 तथा खसरा न0 537/274 में 2.404 है0 खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज किया जावे ? –– वादी

4– अनुतोष

तनकीयात कायम करने के पश्चात पक्षकारान के साक्ष्य लिये गये । साक्ष्य वादी द्वारा शपथ–पत्र तथा पड़ोसी कास्तकारो के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये । जिसकी प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई । प्रतिवादी द्वारा कोई भी साक्ष्य नही करवाये गये ।

इसके पश्चात वादी के अभिभाषकगण एवं पेरोकार राज की बहस सुनी गई । जिसमें वादी के विद्वान अभिभाषक ने वाद–पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी के नाम से रोही गोपालसर बारानी तहसील सूरतगढ के खसरा न0 274/2 में 25–00बीघा भूमि टी सी आंवटन किया गया । जिस पर वादी द्वारा आंवटन की सभी शर्तो की पालना करते हुये उक्त जैरवाद रकबा की खातेदारी श्रीमान तहसीलदार सूरतगढ ने दिनांक 02–08–2008 को खसरा नं0 274/2 में 4.061 हे0 बारानी भूमि की खातेदारी जारी कर दी गई । जिस पर आंवटन से लेकर आज तक बदस्तुर कब्जा कास्त चला आ रहा है । जैरवाद भूमि का उपनिवेशन क्षैत्र में होने पर श्रीमान आंवटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा समस्त रिपोर्ट लेने के पश्चात दिनांक 04–06–2007 को पुख्ता आंवटन कर दिया गया । इसके पश्चात उक्त रकबा उपनिवेशन क्षैत्र से बाहर अर्थात डी कॉलोनी होने के कारण तहसीलदार राजस्व सूरतगढ के क्षैत्राधिकार में आ गया जिस पर डी कॉलोनी के प्रावधानो के तहत पटवारी हल्का एवं गिरदावर की रिपोर्ट ओने के पश्चात तहसीलदार राजस्व सूरतगढ द्वारा खसरा न0 274/2 में 4.061 हे0 भूमि की खातेदारी अधिकार जारी कर दिये गये । श्रीमान आवंटन अधिकारी के द्वारा पुख्ता आंवटन करते वक्त वादी की खसरा न0 274/2 में 16–01 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन की गई । शेष 8–19बीघा भूमि सरप्लस कर दी गई । उक्त रकबा डी कॉलोनी होने के पश्चात श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ द्वारा सरप्लस रकबे की खातेदारी दिनांक 07–09–2015 को जारी कर दी गई जिसका अमलदरामद राजस्व रिकार्ड हो चुका है। वादी के नाम रोही गोपालसर तहसील सूरतगढ के खसरा नं0 274/2 में 4.061 खातेदारी भूमि का अमलदरामद करवाने हेतू प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर आदेश होने के पश्चात पटवारी हल्का को अमलदरामद हेतू भेजा गया इसके पश्चात भी आज तक वादी की खातेदारी भूमि का अमलदरामद राजस्व रिकार्ड नही हुआ । उक्त मूल खसरा का विभाजन राजस्व कर्मीयो द्वारा करते हुये खसरा नं0 274/2 एवं 537/274 राजस्व रिकार्ड दर्ज किया गया। जबकि 274/2 से ही पैमूद खसरा न0 537/274 बना है । वादी उक्त जैरवाद रकबा का खातेदार कृषक घोषित करवाने का निवेदन किया ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

बहस सुनने के पश्चात पूर्ण पत्रावली का अवलोकन व मनन किया गया । दस्तावैजो व साक्ष्यो पर गौर किया गया विस्तुत विवेचन तनकी वाद निम्न प्रकार से है :-

तनकी न0 1- आया कि वादी के नाम से ही गोपालसर बारानी तहसील सूरतगढ के खसरा न0 274/2 में 25-00बीघा भूमि अस्थाई आंवटन किया गया है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था वाके के द्वारा अपने नाम टी सी आंवटन पत्रावली तथा आवंटन अधिकारी एव उपखण्ड अधिकारी के द्वारा मिसल सं0 622/2007 दिनांक 04-06-2007 के निर्णय की सत्यप्रतिलिपीयां प्रस्तुत की गई । जिसके मुताबिक वादी के नाम रोही गोपालसर बारानी के खसरा नं0 274/2 में 25-00बीघा भूमि टी सी आवंटन होना पाया जाता है । तनकी न0 1 बहक वादी निर्णित की जाती है ।

तनकी न0 2- आया कि वादी के नाम रोही गोपालसर बारानी के खसरा न0 274/2 में 1.645 है0 तथा खसरा न0 537/274 में 2.404 है0 खातेदारी भूमि का वादी खातेदार कृषक है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था वादी के द्वारा अपने नाम रोही गोपालसर बारानी के खसरा न0 274/2 में 25-00बीघा भूमि टी सी आवंटन तथा उक्त टी सी आंवटन का पुख्ता आवटन होना तथा इसके पश्चात उक्त जैरवाद रकबा डी कॉलोनी होने पर तहसीलदार भू0अ0 के द्वारा मिसल सं0 1090 दिनांक 02-08-2008को खातेदारी अधिकार जारी किये गये । जिसमें वादी को जैरवाद रकबा खसरा न0 274/2 की 4.061 है0 भूमि के खातेदारी अधिकार जारी किये गये इससे उक्त जैरवाद रकबा का वादी खातेदार कास्तकार है । वर्तमान खसरा न0 274 को राजस्व कर्मीयों द्वारा विभाजीत करते हुये 274/2 तथा 537/274 पैमूद किया गया है । इसलिए वादी खातेदार कास्तकार होने के तहत खातेदार कृषक घोषित किये जाने का हकदार है । तनकी न0 2 बहक वादी निर्णित की जाती है ।

तनकी न0 3- आया कि वादी के नाम रोही गोपालसर बारानी के खसरा न0 274/2 में 1.645 है0 तथा खसरा न0 537/274 में 2.404 है0 खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज किया जावे ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था वादी के द्वारा तनकी न0 2 सिद्ध की जा चुकी है जिसमें वादी रोही गोपालसर बारानी के खसरा न0 274/2 में 4.061 है0 भूमि का खातेदार कृषक है । उक्त जैरवाद खसरा राजस्व कर्मीयो के द्वारा विभाजीत कर खसरा न0 274/2 में 1.465 है0 तथा खिसरा न0 537/274 में 2.404 है0 भूमि आराजी राज राजस्व रिकार्ड दर्ज है । वादी उक्त जैरवाद रकबा का वादी खातेदार कृषक होने के कारण राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाने का कानूनन हकदार है । तनकी न0 3 बहक वादी निर्णित की जाती है ।

इस प्रकार तनकीयात बहक वादी निर्णित की जाती है । जिसके मुताबिक वादी के नाम रोही गोपालसर बारानी के खसरा न0 274/2 में 4.061 है0 भूमि का खातेदार कृषक है । उक्त जैरवाद खसरा राजस्व कर्मीयो के द्वारा विभाजीत कर खसरा न0 274/2 में 1.465 है0 तथा खिसरा न0 537/274 में 2.404 है0 भूमि आराजी राज राजस्व रिकार्ड दर्ज है । वादी उक्त जैरवाद खसरा न0 274/2 में 1.465 है0 तथा खसरा नं0 537/274 में 2.404 है0 का खातेदार कृषक घोषित किये जाने का हकदार है । इसलिए उक्त वाद-पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है ।

अतः उक्त विवेचन अनुसार दावा वादी स्वीकार किया जाकर **रोही गोपालसर बारानी तहसील सूरतगढ के खसरा न0 274/2 में 1.645 है0 तथा खसरा न0 537/274 में 2.404 है0 भूमि का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा वादी के नाम जमाबन्दी के खाता सं0 1 में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।** पर्चा डिकी जारी हो । खर्चा पक्षकार अपना -2 वहन करे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2024. को खुले न्यायालय में सनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)
(राजस्व) सूरतगढ

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई

अज अदालत –सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी , सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

बइजलास – श्री संदीप कुमार आर. ए. एस.

अनवान :

पतराम पुत्र श्री जैसाराम जाति जाट साकिन लालगढ तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

——— वादी

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

——— प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर. टी. ए. मुकदमा न0 188 वर्ष 2020 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादी श्री राजवीर भादू, अंजनी कुमार चोटीया एवं राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है । वाद वादी निम्न प्रकार से आदेशित कर डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :–

रोही गोपालसर बारानी तहसील सूरतगढ के खसरा न0 274/2 में 1.645 है0 तथा खसरा न0 537/274 में 2.404 है0 भूमि का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा वादी के नाम जमाबन्दी के खाता सं0 1 में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोज .....×.....मुबलिग .....×.....बाबत .....×.....खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ....×.....फसदो की पालना.....×.....आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे ।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 16.01.2024 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)